उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का प्रथम तल, आई.एस.बी.टी. के समीप, माजरा, देहरादून–248002

अधिसूचना

नवम्बर 28, 2008

सं0 एफ 9(7)/आरजी/यूईआरसी/2008/1125–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004 (मुख्य विनियम) के संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, यथाः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व निर्वचन :

(1) ये विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियमों के संलग्नक 2 में –

(1) खण्ड (7) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ जायेगा, यथाः–

"(8) यदि किसी अवयव के आउटेज के कारण वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति के क्षेत्र में विद्युत कटौती होती है तो उस अवयव हेतु आउटेज की अवधि उस दिन/उन दिनों, जिन पर कि ऐसी विद्युत कटौती हुई है, की वास्तविक आउटेज अवधि की दोगुनी समझी जायेगी।

(9) आयोग से निवेश योजना अनुमोदित कराते समय दी गई अधिसूचित तिथि से आगे किसी पारेषण अवयव के विनियोग में विलंब के मामले में पारेषण अवयव ऐसी तिथि से विनियोजित समझा जायेगा तथा पारेषण प्रणाली की संपूर्ण उपलब्धता की परिगणना के उद्देश्य हेतु जबरी आउटेज के कारण अनुपलब्ध माना जायेगा।"

परन्तु असाधारण अपरिहार्य घटना के मामलों में जहां अनुज्ञापी आयोग की सन्तुष्टि के लिये साक्ष्य/कारण प्रस्तुत करता है कि विलंब उसके नियन्त्रण से बाहर के कारणों से था वहां विलंब, जिस सीमा तक आयोग सही समझे उसके द्वारा क्षमा कर दिया जायेगा।

(10) एसएलडीसी, पृथक रूप से आयोग द्वारा जारी प्रारूप में पारेषण लाईनों की उपलब्धता की माहवार जानकारी रखेगा। एसएलडीसी, यह जानकारी प्रत्येक माह के अन्त के 7 दिन के भीतर आयोग तथा पारेषण व वितरण अनुज्ञापी को प्रस्तुत करेगा।

आयोग के आदेश से
पंकज प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

यह विनियम दिनांक 06.12.2008 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।